भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : **3179**

दिनांक 12 मार्च , 2020 / 22 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

बांदीपुर से काज़ीगुंड तक हेलिकॉप्टर सेवा

3179. श्री अकबर लोन:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांदीपुर से काज़ीगुंड और दावर तक हेलिकॉप्टर सेवा प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क)और (ख): जम्मू एवं कश्मीर संघशासित क्षेत्र ने गृह मंत्रालय की आर्थिक सहायता के अंतर्गत, जम्मू एवं कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र में अप्रैल, 2017 से हेलीकॉप्टर सेवाएँ प्रदान करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पवन हंस लिमिटेड (पीएचएल) को नामित किया है। जम्मू एवं कश्मीर संघशासित क्षेत्र, उन मार्गों के विषय में निर्णय लेता है जिन पर पवन हंस लिमिटेड उड़ान भरेगा। नियमित सेवाओं के लिए जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन द्वारा निश्चित किए गए स्थानों में से बांदीपुर से डावर एक स्थान है और पवन हंस लिमिटेड, बांदीपुर से डावर (गुरेज), जम्मू एवं कश्मीर संघशासित प्रदेश में हेलीकॉप्टर सेवाओं का प्रचालन कर रहा है।

*****